निगमकर्मियों पर गिरेगी गाज

पटना | वरीय संवाददाता

नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक कर्मियों पर गाज गिरेगी। इन पर ए-टू-जेड के कार्यों की ठीक तरह से मॉनीटरिंग नहीं करने और ठोस कचरा प्रबंधन के कार्यों में कोताही बरतने का आरोप है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने ऐसे कर्मियों की पहचान कर उन्हें निलंबित करने और विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है।

प्रधान सचिव शशि शेखर शर्मा ए-टू-जेड व निगम के विवाद को सुलझाने और शहर को कचरामुक्त करने की योजना की रोज समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान विभाग में हुई एक बैठक में खुलासा हुआ कि लिफ्टिंग रिपोर्ट और वे-ब्रिज रिपोर्ट को सत्यापित करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया। इससे भुगतान का मामला उलझता गया। जनवरी 2010 में कंपनी के साथ करार करने के एक साल बाद निगम ने बैरिया डंपिंग यार्ड जाने के लिए सड़क बनवाई व बिजली का प्रबंध किया। इसके पहले निजी वे-ब्रिज पर कूड़ा तौल कराने वाली वाहनों की फोटोग्राफी कराने का प्रबंध नहीं हुआ।

मध्यस्थ के पास जाएगा मामला

ए-टू-जेड और नगर निगम के विवाद को मध्यस्थ के समक्ष भी रखा जा सकता है। नगर आयुक्त ने इस संभावना से इंकार नहीं किया है। नगर आयुक्त ने कहा है कि वे-ब्रिज और कूड़ा तौल कराने और डंपिंग यार्ड पर गिराने के जिस अवधि का फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है उसके भुगतान के लिए मामला मध्यस्थ के पास ले जाया जा सकता है।